

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 188]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1972/चैत्र 14, 1894

No 188]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1972/CHAITRA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1972

S.O. 257(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Maharashtra.

“In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Khaparde, Saroj Purushottam, Gandhi Kuti, Dr. Ambedkar Road, Post Bexonbagh, Nagpur-4.

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of Shri B. K. Gaikwad.

PLACE: Council Hall, Bombay.

DATE: 30th March, 1972.

(Sd.) G. G. KUDALKAR,
Returning Officer.”

[No. F. 13(1)/72-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1972

फा० आ० 257(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित है,

घोषणा

महाराष्ट्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा का उप-निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि श्री बी० के० गायकवाड़ की मृत्यु से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

खापरडे, सरोज पुरुषोत्तम,
गांधी कुटी, डा० अम्बेडकर मार्ग,
डाकघर—बेक्सोनबाद, नागपुर-4।

सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : परिषद हॉल, बम्बई।

दिनांक : 30 मार्च, 1972।

(ह०) जी० जा० कुडालकर,
रिटनिंग आफिसर।”

[सं० फा० 13(1)/72-बि० II]

के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव।